रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2011/आषाढ़ 21, 1933
No. 1339] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2011/ASADHA 21, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सं. 38/2011-आयकर

का.आ. 1608(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 732(अ) में आगे संशोधन करता है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-I में,—

(i) क्रम संख्या 59 एवं 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामत: :–

1	2	3	4	5	6
59	आयकर आयुक्त, गाजियाबाद	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,– गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिले	(क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	कालम (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

1	2	3	4	5	6
				(ग) कालम (6) संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।	
59क	आयकर आयुक्त नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,– गौतमबुद्ध जिला	(क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ।	कालम (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ।
				(ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	
				(ग) कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;	
60	आयकर आयुक्त, मेरठ	मेरठ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,– मेरठ तथा बागपत जिले	(क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ।	कालम (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले
				(ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	
				(ग) कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;	

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2011 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 189/2/2011-आ.क.नि. I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि. I)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 की सं. का.आ. 732(अ), के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1849(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2010 के तहत संशोधित की गई ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2011

No. 38/2011-Income Tax

S.O. 1608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number S. O. 732(E), dated the 31st July, 2001, namely :—

In the said notification, in Schedule-I,—

(i) for serial numbers, 59 and 60 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6
59	Commissioner of Income-tax, Ghaziabad	Ghaziabad, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh,— Districts of Ghaziabad and Bulandshahr.	(a) persons referred to in column (6), being other than companies, deriving income from sources other than income from business or profession, and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; (b) persons referred to in column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) ; (c) persons referred to in column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in column (4) ;	All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5).
59A	Commissioner of Income-tax, New Okhla Industrial Development Authority.	New Okhla Industrial Development Authority, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh,— Districts of Gautam Buddha Nagar.	(a) persons referred to in column (6), being other than companies, deriving income from sources other than income from business or profession, and residing within the territorial area mentioned in column (4) ; (b) persons referred to in column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) ; (c) persons referred to in column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in column (4) ;	All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5).

1	2	3	4	5	6
60	Commissioner of Income-tax, Meerut.	Meerut, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh,— Districts of Meerut and Baghpat.	(a) persons referred to in column (6), being other than companies, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5).
				(b) persons referred to in column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);	
				(c) persons referred to in column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in column (4);	

2. This notification shall come into force with effect from 1st July, 2011.

[F. No. 189/2/2011-ITA. I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA. I)

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 732(E), dated the 31st July, 2001 and lastly amended *vide* number S.O. 1849(E), dated the 28th July, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.